रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072026-274818
CG-DL-E-25072026-274818

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 603]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2026/श्रावण 2, 1948
No. 603]	NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2026/SHRAVAN 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 665(अ).— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय मोटर यान नियमावली, के कतिपय नियमों के 1989, निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, इसे उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

उपरोक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आक्षेपों या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

3. इन नियमों के प्रति आक्षेपों एवं सुझाव, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल, परिवहन और सड़क सुरक्षा), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को या ईमेल: comments-morth@gov.in पर भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (…………….संशोधन) नियमावली, 2026 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा प्रावधान न होने पर, ये नियम इनके अंतिम प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होंगे। उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में, नियम 125 थ में, उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-नियम (4) प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(4) श्रेणी एल, एम और एन के वे वाहन, जिनका निर्माण 1 अक्टूबर 2027 को या उसके पश्चात् हुआ है, यदि उनमें वाहन से वाहन (वी2वी) संचार प्रणाली लगी है, तो उन्हें समय-समय पर संशोधित एआईएस-230 का अनुपालन करना होगा। श्रेणी एल, एम और एन के वे वाहन, जिनका निर्माण 1 अक्टूबर 2028 को या उसके पश्चात् हुआ है, उनमें समय-समय पर संशोधित एआईएस-230 के अनुसार विनिर्देशों को पूरा करने वाली वाहन से वाहन (वी2वी) संचार प्रणाली लगी होनी चाहिए।

[फा. सं. आरटी-11036/80/2023-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 889(अ), दिनांक 16 सितंबर,2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार सा.का.नि.......(अ), दिनांक .... के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2026

G.S.R. 665(E).— The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

3. Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL, Transport & Road Safety), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

Draft Rules

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (………. Amendment) Rules, 2026.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 125 Q, after sub-rule (3), the following new sub-rule (4) shall be inserted, namely:

"(4) Vehicles of categories L, M and N, manufactured on and after 1st day of October 2027, if fitted with Vehicle to Vehicle (V2V) communication systems, shall comply with AIS-230, as amended from time to time. Vehicles of categories L, M and N, manufactured on and after 1st day of October 2028, shall be fitted with Vehicle to Vehicle (V2V) communication systems, meeting specifications as per AIS-230, as amended from time to time."

[F. No. RT-11036/80/2023-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 889(E), dated the 16th September, 2020, and lastly amended vide Notification number …….. Dated………….

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.07.25 17:24:20 +05'30'